संख्या-137/2016/ 1412/नौ-5-2016-357बजट/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, ठिरिया निजावत खां(बरेली), पिलखना(अलीगढ), माधोगंज(हरदोई), गंजमुरादाबाद(उन्नाव) एवं किरावली (आगरा)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 11 मई, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित 05 नगर पंचायतों को सड़कों के निर्माण हेतु कुल रू. 194.93 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **कुल रू. 97.46 लाख (रू सत्तान्वे लाख छियालीस हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण, शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(में .धनराशि लाख रू)

क्र. सं.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रार्थित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बरेली	नगर पंचायत, ठिरिया निजावत खां	1. अफजल बेग के मकान से आला हजरत मस्जिद वाले रोड तक साइड पटरी पर इंटरलाकिंग ब्रिक्स सडक निर्माण कार्य	30.60		
			योग	30.60	30.00	15.00
2.	अलीगढ़	नगर पंचायत, पिलखना	1. नगर पंचायत पिलखना के अन्तर्गत इदगाह से मतीन के खेत तक इंटरलाकिंग कार्य।	26.85		
			2. नगर पंचायत पिलखना के अन्तर्गत शमशुल के खेत से डबल पुलिया तक इंटरलाकिंग कार्य।	27.86		
			3. नगर पंचायत पिलखना के अन्तर्गत मतीन के खेत से पिलखना गेट तथा चमन के मकान तक इंटरलाकिंग सडक	25.71		
			योग	80.42	80.00	40.00
3.	हरदोई	नगर पंचायत, माधोगंज	1. मो0 पटेल नगर पूर्वी में मो0 फारूख के मकान से गुप्ता टेन्ट हाउस की दुकान तक हाट मिक्स सडक/नाली निर्माण	25.50		

क्र. सं.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रार्थित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			2 अन्पूर्णनगर मे अवधेश गुप्ता के मकान से सुशील त्रिपाठी के मकान तक हाट मिक्स सडक/नाली निर्माण	19.87		
			योग	45.37	30.00	15.00
4.	उन्नाव	नगर पंचायत, गंज मुरादाबाद	1. मो0 अन्सार मैदान वार्ड नं0-4 में शाह्नूर खान के घर से असलम रहमानी के घर तक इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण।	3.90		
			2. मो0 चमरौधा गढ़ी नगर पंचायत कार्यालय में इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	3.12		
			3. मो0 खत्रियाना वार्ड नं0-10 में हिरदयनारायण कुम्हार के घर से मुनौरा शुक्ला के घर तक इंटर लाकिंग रोड सड़क/नाली निर्माण	1.56		
			4. मो0 पटियाना में बठवा नट के घर से रमेश नट के घर तक इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण।	1.56		
			5. मो0 बड़ी बाजार में मुन्ना बिजली वाले के घर से रस्तोगी के घर के पास पूरा सहन तथा बाबू ठेकेदार के घर तक इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	3.90		
			6. मो0 खत्रियाना में कयाम वारसी के घर से कुर्बानी अंसारी के घर होते हुए बन्ने मिस्त्री के घर तक इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण।	3.12		
			योग	17.16	15.00	7.50
5.	आगरा	नगर पंचायत, किरावली	1. तहसील रोड तिराहे से अम्बेडकर पार्क की ओर मार्ग के दोनों ओर पटरियों पर इंटर लाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य	39.93		
			योग	39.93	39.93	19.96
			महायोग	213.48	194.93	97.46

(रू0 सत्तानवे लाख छियालिस हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के

खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/ पी.एल.ए/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दि0 07 जून, 2013 तथा शासनादेश सं0-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013, 10 सित, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रस्तुत आगणन में प्रार्थित धनराशि एवं उक्त निकायों को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि के अन्तर/बढी हुई धनराशि की व्यवस्था सम्बन्धित निकाय अपने स्रोतों से वहन करेंगे।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्प्ले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक **31-12-2016** तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।
12. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2016/बी-1-1746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-137/2016/1412(1)/नौ-5-2016-357बजट/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र.इलाहाबाद।
7. संबंधित अध्यक्ष, नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-11/05/2016

प्रेषण संख्या:- 137

आवंटन आदेश संख्या:- 001-137-2016-1412-9-5-16-357B-2014

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)
80 - सामान्य
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	अलीगढ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 5500000	4000000 5500000
2	आगरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1996000 1996000	1996000 1996000
3	बरेली-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 3100000	1500000 3100000
4	उन्नाव-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	750000 4206000	750000 4206000
5	हरदोई-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 1500000	1500000 1500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	9746000 16302000	9746000 16302000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्तानवे लाख छियालीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ तिरेसठ लाख दो हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी